



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“आपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.03.2015 को अभियुक्त द्वारा वादी की बेटी को बहला फुसला कर ले जाना के सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0- 46/15 धारा- 363,366A,368, 376 D 506 भादवि, 6 पॉक्सो एक्ट बनाम सुनील सैनी पुत्र स्व0 चुन्नीलाल सैनी नि0 ग्राम खोदपुरा थाना भोट जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक-30.03.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-08 रामपुर द्वारा अभियुक्त सुनील सैनी पुत्र स्व0 चुन्नीलाल सैनी नि0 ग्राम खोदपुरा थाना भोट जनपद रामपुर को 03 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभि0 सुनील सैनी पुत्र स्व0 चुन्नीलाल सैनी नि0 ग्राम खोदपुरा थाना भोट जनपद रामपुर को 03 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

सुनील सैनी पुत्र स्व0 चुन्नीलाल सैनी नि0 ग्राम खोदपुरा थाना भोट जनपद रामपुर।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826